21-8-19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वर्ड में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17-4-13 को विपक्षी के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने की स्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में वकील प्रार्थिया के पक्ष में वर्ड दिनांक 17-4-13 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरु कन्फर्म (स्थायी) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के ~~मिसल~~ शामिल मिसल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा